संख्या : 6/2016/1601/छप्पन-2015-64/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी , 2016

विषय : राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी-200 पर श्री बी0के0 द्विवेदी, एवियानिक्स अभियंता को M/S Flight Safety International, Wichita Kansas, U.S.A. में ट्रेनिंग कराये जाने के लिए अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 426/ना0उ0वि0/2015, दिनांक 29.7.2015 के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2044(2)/छप्पन-2014-64/13, दिनांक 21.01.2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री बी0के0 द्विवेदी, एवियानिक्स अभियंता को राजकीय वायुयान सुपर किंग एयर बी-200 पर प्रशिक्षण दिये जाने हेतु उक्त इंगित शासनादेश दिनांक 21.01.2015 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन यू0एस0ए0 में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रूपये 1,71,500/- (रूपये एक लाख इकहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) की दर से कुल रूपये 6,39,500/- (रूपये छः लाख उनतालिस हजार पॉच सौ मात्र) के अग्रिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इंगित स्वीकृति के सापेक्ष श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत यात्रा बीजक का परीक्षणोपरान्त रूपये 2,02,222/- सही पाया गया। अतः श्री राज्यपाल दिये गये यात्रा बीजक के सापेक्ष स्वीकृत अग्रिम धनराशि रूपये 1,71,500/- को समायोजित करते हुए अवशेष अतिरिक्त हुए व्यय की धनराशि रूपये 30,722/- (रूपये तीस हजार सात सौ बाइस मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- शासनादेश संख्या- 2044(2)/छप्पन-2014-64/2013, दिनांक 21.01.2015 में उल्लिखित शर्तें/अनुबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।

5- श्री बी0के0 द्विवेदी, एवियानिक्स अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित यात्रा भत्ता बीजक रूपये 2,02,222-00 (रूपये दो लाख दो हजार दो सौ बाइस मात्र) की नियमानुसार देयता के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 6/2016/1601(1)/छप्पन-2015-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।